FORM NO. III

APP A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवां

अंगूरी बाई बनाम पप्पूनाथ वगै०

128, 111 RT Act 09/प्रा०पत्र/2021 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.1.21	दावा पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 RT Act द्वारा वकील श्री सीताराम नागर पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० 24.3.21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	
24.3.21	वकील प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नोटिस बाद तामील संलग्न हैं बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तहसीलदार नैनवां को जवाब हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25.5.21 को पेश हो। [signature]	
25/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6/9/21 को पेश हो। [signature]	
6/9/21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 23.12.21 को पेश हो। [signature]	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट नोटिस जारी
16.11.21	पत्रावली प्रशासन [illegible] के तहत केम्प कोर्ट जरखोदा [illegible] पेश हुई। तहसीलदार नैनवां [illegible] है। तहसीलदार [illegible] की रिपोर्ट के अनुसार [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिकार्ड में ग्राम फतेहगंज में ख.सं. 845 रकबा 7-05 बीघा अंगूरी पत्नी गोबरीलाल के खातेदारी है। मौका रिपोर्ट के अनुसार ख.सं. 845/7-05 पर अंगूरी बाई का कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में ख.नं. 845/7-05 पर पप्पूनाथ, प्रभूलाल, कमलेश, मुमताज का कब्जा काश्त है। वर्तमान में फसल बोई हुई है। अंगूरीबाई ने पप्पूनाथ को उक्त भूमि विक्रय कर दी है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां से स्पष्ट है कि भूमि ख०सं० 845 रकबा 7-05 बीघा वाके ग्राम फतेहगंज पर प्रार्थिया का कब्जा काश्त नहीं है तथा प्रार्थिया ने भूमि विक्रय कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner